<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112022-240636 CG-DL-E-29112022-240636

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 616] No. 616] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2022/अग्रहायण 7, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022/AGRAHAYANA 7, 1944

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली. 9 नवम्बर. 2022

सं. CEA-PS-13-17(23)/4/2022-PSPM Division. जबिक मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर सिक्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय #2904, 29वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ब्रिगेड गेटवे कैंपस, राजाजी नगर, बैंगलोर-560055 भारत पर स्थित है, ने पारेषण योजना "300 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम " के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबिक, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. CEA-PS-11-21/1/2021-PSPA-I Division/266 दिनांक 01.11.2021 के द्वारा पारेषण योजना "300 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम" के अंतर्गत 220/33 केवी पूलिंग सबस्टेशन गांव-हरलापुरा जिला- गडग, कर्नाटक से 400/220 केवी पीजीसीआईएल सबस्टेशन गांव तडकल, जिला-कोप्पल, कर्नाटक डी/सी टावरों पर 220 केवी एस/सी लाइन का निर्माण के लिए मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर सिक्स प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर सिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 24.11.2021 को (डेक्कन हेराल्ड, हुबली धारवाड़ प्रकाशन) के इंगलिश अखबार में, दिनांक 24.11.2021 को (राजस्थान पत्रिका, हुब्बल्ली प्रकाशन) के हिन्दी अखबार में, दिनांक 24.11.2021 को (प्रजावणी, हुबली धारवाड़ प्रकाशन) के स्थानीय अखबार में तथा भारत का राजपत्र साप्ताहिक दिनांक 19.02.2022 से 25.02.2022 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों / अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके

7899 GI/2022 (1)

पश्चात, मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर सिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 05.07.2022 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों / भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना " 300 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम " के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपिर लाईन हैं:

I. 220/33 केवी पूलिंग सबस्टेशन गांव-हरलापुरा, जिला- गडग, कर्नाटक से 400/220 केवी पीजीसीआईएल सबस्टेशन गांव तडकल, जिला-कोप्पल, कर्नाटक - डी/सी टावरों पर 220 केवी एस/सी लाईन

योजना के अंतर्गत आने वाली ट्रांसिमशन लाइन कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों में से, उनके ऊपर से, आसपास से और बीच से जाएंगी:

क्रम सं.	गांवों का नाम	तहसील	जिला
1	हैंड्राहलु, कवलूर, गुडीगेरे	कोप्पल	कोप्पल
2	चित्तापुर, कोमालापुर, लकमापुर, भानापुर, तलाबल, , तडकल, लिंगपुरा, अदावल्ली, बन्नीकोप्पा	कूकानूर	कोप्पल
3	एकलसपुरा, हल्लीकेरे, वेंकटपुरा, हल्लीगुडी, अलूर, रामेनहल्ली, जंतली, सिरूर, तुर्चिहाल, कदांपुरा	मुंडरागी	गदग
4	तिम्मापुरा, हरलापुरा, कंगिनहाल, लक्कुंडी	गदग	गदग

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर सिक्स प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त शिरोपरि लाइन को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइन की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइन का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- (vi) मेसर्स अयाना रिन्यूएबल पावर सिक्स प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

राकेश गोयल, सचिव, के.वि.प्रा.

[विज्ञापन-III/4/असा./436/2022-23]

Central Electricity Authority

ORDER

New Delhi, the 9th November, 2022

No. CEA-PS-13-17(23)/4/2022-PSPM Division. whereas M/s Ayana Renewable Power Six Private Limited, the applicant with its registered office at S 2904, 29th floor, World Trade Centre, Brigade Gateway Campus, #26/1, Dr. Rajkumar Road, Malleswaram - Rajajinagar, Bangalore-560055, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme "connectivity system of M/s Ayana Renewable Power Six Private Limited for 300 MW Wind Power Project in Gadag, Karnataka".

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its File no. CEA-PS-11-21/1/2021-PSPA-I Division/266 dated 01.11.2021 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s Ayana Renewable Power Six Private Limited, for the overhead lines covered under the transmission scheme "connectivity system of M/s Ayana Renewable Power Six Private Limited for 300 MW Wind Power Project in Gadag, Karnataka".

M/s Ayana Renewable Power Six Private Limited, has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 24.11.2021 (Prajavani, Hubballi-Dharwad edition), English newspaper dated 24.11.2021 (Deccan Herald, Hubballi-Dharwad edition), Hindi newspaper dated 24.11.2021 (Rajashthan Patrika, Hubballi edition) and in Weekly Gazette of India dated 19.02.2022 to 25.02.2022 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s Ayana Renewable Power Six Private Limited has submitted an affidavit dated 05.07.2022 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers / Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme "connectivity system of M/s Ayana Renewable Power Six Private Limited for 300 MW Wind Power Project in Gadag, Karnataka".

The following overhead line is covered under this transmission scheme:

I. 220 KV S/c transmission line on double circuit Tower from 220/33 KV pooling substation near village – Harlapura Dist.- Gadag, Karnataka.to 400/220 KV PGCIL substation near village – Tadakal, Dist.-Koppal, Karnataka.

The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around, and between the following villages, towns and cities in the state of Karnataka:

Sl. No.	Village Name	Tehsil	District
1	Handrahalu, Kavalur, Gudigere	Koppal	Koppal
2	Chittapur, Komalapur Lakmapur, Bhanapur, Talabal, Tadakal, Lingapura, Adavalli, Bannikoppa.	Kukanur	Koppal
3	Eklaspura, Hallikere, Venkatapura, Halligudi, Alur, Ramenahalli, Jantli, Sirur, Turchihal, Kadampura	Mundaragi	Gadag
4	Timmapura, Harlapura, Kanginhal, Lakkundi	Gadag	Gadag

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s Ayana Renewable Power Six Private Limited, for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;

- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s Ayana Renewable Power Six Private Limited, shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

RAKESH GOYAL, Secy., C.E.A. [ADVT. -III/4/Exty. /436/2022-23]